भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4125
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्य आहार और मत्स्य उत्पाद

4125. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य आहार और मत्स्य उत्पाद उद्योगों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यथानिर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ) **:** मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षो की अवधि के लिए देश में मात्स्यिकी और जलकृषि के सर्वांगीण विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और फिशरीस तथा एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत भूमि और जल के विस्तार, इन्टेन्सिफिकैसन, डायवर्सिफिकेशन और भूमि और जल के उत्पादक उपयोग, गुणवत्ता वाले इनपुट की आपूर्ति, टेक्नोलॉजी के समावेश, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मूल्य श्रृंखला(वैल्यू चेन) के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ट्रैसेबिलिटी, एक सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना और मछुआरों के कल्याण हेतु वृहत गतिविधियों को सहायता प्रदान की जा रही है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के तहत 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए के लागत वाली विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

इस योजना के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं/गतिविधियों में शामिल हैं - 32051 हेक्टेयर जलकृषि क्षेत्र, 983 हैचरी, 25 ब्रूड बैंक और 11 इन्टीग्रेटेड एक्वापार्क । इसके अतिरिक्त पीएमएमएसवाई इन्टेन्सफाइड फिश कल्चर के लिए प्रौद्योगिकी समावेशन पर लक्षित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करता है और इस संबंध में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं/गतिविधियों में शामिल हैं - 12081 री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), 4205 बायोफ्लोक यूनिट्स, 55118 जलाशय केज, 1525 ओपेन सी केज, 5711 रेसवे और जलाशयों में 560.70 हेक्टेयर पेन। पीएमएमएसवाई के तहत शुरू की गई पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं - 58 फिशिंग हार्बर / फिश लैंडिंग सेन्टर, 634 आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज, 21 आधुनिक होलसेल फिश मार्केट जिनमें 2 स्मार्ट होलसेल मार्केट, 202 रिटेल फिश मार्केट, 6694 फिश कियोस्क, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 27189 यूनिट्स 128 वैल्यू एडेड इंटरप्राइज, मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए 5 ई-प्लेटफॉर्म । इसके अतिरिक्त, किसानों के खेत के निकट फिश फीड प्रॉडक्शन के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 1117 फिश फीड मिल यूनिट्स को स्वीकृति दी गई है।

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 7,522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ 'फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) नामक एक समर्पित फंड बनाया है, जहां फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 3% तक ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान किया जाता है। एफआईडीएफ के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 5915.54 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 141 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 4905.77 करोड़ रुपए की कुल लागत के 22 फिशिंग हारबर और 182.20 करोड़ रुपए की कुल लागत के 24 फिश लैंडिंग सेन्टर शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किया है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके । मछुआरों और मत्स्य किसानों को अब तक 2930.87 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ कुल 4,61,246 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएमएसवाई, एफआईडीएफ और केसीसी ने अपने कार्यान्वयन अवधि के दौरान मात्स्यिकी और जलकृषि के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरुप (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है, (ii) मात्स्यिकी निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,524.89 करोड़ रुपए हो गया है, (iii) प्रति व्यक्ति मछली की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई है और (iv) जलकृषि उत्पादकता 3 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

****